(संशोधित नवीन आशय पत्र)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

कमांक 2719/402/सीसी/16–अडतीस भोपाल, दिनांक 1-12-16

प्रति,

डॉ.सुनील कराड़
ट्रस्टी एवं एक्ज्युकेटिव डायरेक्टर
एमआईटी ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन, पूणे
(महाराष्ट्र)

विषयः–**निजी विश्वविद्यालय की स्थापना–महाराष्ट्र एकेडमी आफ इंजीनियरिंग एण्ड एजुकेशन रिसर्च, पुणे। (अवंतिका निजी विश्वविद्यालय, उज्जैन)**

संदर्भः–म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पत्र कमांक 1434 दिनांक 01.12.16 तथा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक के कार्यवाही विवरण में की गई अनुशंसा दिनांक 01.12..16 , विभाग के पत्र क्र. 1904/594/सीसी/12/38 दिनांक 19.12.2012 एवं पत्र क्र. 913/91/सीसी/14/38 दिनांक 06.10.15

———0———

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय संदर्भित पत्र दिनांक 19.12.2012 द्वारा जारी आशय पत्र एवं पत्र दिनांक 06.10.15 द्वारा की गई आशय पत्र की वृद्धि संबंधी पत्रों को निरस्त करते हुए पुनः म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र दिनांक 01.12.16 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विनियामक आयोग की अनुशंसा दिनांक 01.12.16 के आधार पर राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर आशय–पत्र निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है। प्रायोजी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 7 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं विहित प्रकिया का पालन करने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में की जावेगी।

शर्तें निम्नानुसार हैं:–

1. वह–

(क) मुख्य परिसर तथा ऐसे अन्य परिसर जो विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किए जाएं, स्थापित करेगा।

(छ) विनियामक निकाय द्वारा, समय–समय पर, अधिकथित कार्यक्रम, संकाय, अधोसंरचना, सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता की शर्तों को निर्धारित मापदण्डों में पूरा करेगा।

(ज) वह स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधिपत्र के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पुष्टि करेगा।

(झ) वह यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विनियामक परिषदों या विनियामक आयोग के मानकों, दिशा निर्देशों या निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हों, प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस के नियतन को अवधारित करेगा।

(ञ) उसका नेशनल कौंसिल ऑफ एसेसमेन्ट एण्ड एक्रेडिटेशन द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारण तथा प्रत्यायोजन किया जाएगा।

(ट) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारिवृंद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विनियामक परिषद या निकाय द्वारा यथाविहित न्यूनतम अर्हता रखेगा तथा कर्मचारिवृंद को समुचित पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा।

(ठ) निजी विश्वविद्यालय समस्त व्यक्तियों के लिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, खुला रहेगा और जाति, पंथ धर्म वंश के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा निजी विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी भी व्यक्ति या, निजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें किसी अन्य पद के धारण करने या उसे निजी विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश दिए जाने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार परीक्षण करे या उस पर कोई परीक्षण थोपे।

(ड.) म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 तथा संशोधन अधिनियम, 2013 एवं 2016 में दिए गए प्रावधान अनुसार धारा 35 के उपबंध के अनुसार संबंधित परिनियमों या अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशित हो जाने तथा विनियामक आयोग के निरीक्षण पूर्ण होने तक प्रवेश तथा कक्षाएं प्रारंभ नहीं होंगे।

7. आशय पत्र, इसके जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा तथा राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

8. निजी विश्वविद्यालय, उसके निगमन के पश्चात, विनियामक आयोग को किसी अन्य विद्यमान विश्वविद्यालय से किसी विभाग या विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की किसी अन्य संघटक इकाई के रूप में संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था को अधिसूचित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

9. निजी विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम, 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना सुनिश्चित किया जावे।

1-12-16

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

पृ.क्र. 2727/402/सीसी/16-अडतीस — भोपाल, दिनांक 1-12-16

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. सदस्य सचिव, एन.सी.टी.ई. हंस भवन, बिंग-2 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, एम.सी.आई.पॉकेट-14 सेक्टर 8 द्वारका फेस-1 नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, डी.ई.सी. इग्नू मदन गढ़ी, नई दिल्ली।
7. सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, 21, राउस एवेन्यू इंस्टीटयूशनल एरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, ए.आई.सी.टी.ई, 7 फ्लोर, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
9. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
10. अध्यक्ष म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, ज्ञान वाटिका वाल्मी रोड़ कोलार रोड़, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।

1-12-16
अवर सचिव
म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,